Press Release

A Notice dated 14/07/2020, 16/07/2020 & 18/07/2020 was published in the Daily Telegram and all leading Newspapers inviting Stakeholder data for Preparation/Revision/Updation of Coastal Zone Management Plans (CZMPs) in accordance with the provision of Coastal Regulation Zone (CRZ), CRZ Notification, 2019 for 14 Islands already framed under IPZ Notification, 2011 by National Centre for Sustainable Coastal Management (NCSCM), Chennai.

The NCSCM now has submitted the Draft Executive Summary, Draft Integrated Coastal Regulation Zone Maps (ICRZ Map) & Land Use Map for Rutland Island & Kamorta Island with the request to submit comments & suggestions. These Maps have been uploaded on the website andaman.gov.in of A&N Administration and forest.and.nic.in or Isl.and.nic.in/doef of Department of Environment & Forest, A & N Administration.

While submitting the suggestions & comments on Draft Executive Summary, Draft ICRZ Map & Land Use Map for Rutland Island & Kamorta Island, provisions of Island Coastal Regulation Zone Notification, 2019 may be referred. The CRZ Notification, 2019 may be seen at andaman.gov.in of A & N Administration and forest.and.nic.in or Isl.and.nic.in/doef of Department of Environment & Forest, A & N Administration.

Any existing/proposed projects/Master Plans of present and future development within the frame of 10 years that has to be included in the draft ICRZ Map be submitted in geo reference and digitized soft copy (ArcGIS/Shapefile/KML Format) for incorporating them in the revised/final ICRZ Map & Land Use Map.

Further, considering the various measures and direction issued by the Govt. of India and A&N Administration for management and containment of COVID-19 for public and work places only soft copies of the Maps have been made available in the Office of the Chairman, ANCZMA (Chief Secretary, A & N Administration), Member [PCCF(CRZ&FC)], ANCZMA Van Sadan. Haddo. Deputy Commissioner(South Andaman/Nicobar), Assistant Commissioner (South Tehsildar(Ferrargunj/Katchal/Kamorta), Andaman/Kamorta), Member (Pollution Control Committee), Director (Tribal Welfare), Divisional Forest Officer (South Andaman/Nicobar Division) and Range Officer (Mangultan/Kamorta) for the public and the other Stakeholder's within a period of 30 days from the date of release of this press note.

The Suggestion/comments and all required information in digital format as mentioned above may be submitted to the office of PCCF(CRZ&FC), Van Sadan, Haddo, Port Blair through e-mail apecf.crzfc@gmail.com.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक / Principal Chief Conservator of Forests (तटवर्ती अंचल एंव वन संरक्षण / CRZ & FC) सदस्य सचिव एवं अण्डमान तथा निकोबार तटवर्ती अंचल प्रबंध प्राधिकरण and Member Secretary, A&N CZMA वन सदन, हैडो, पोर्ट ब्लेयर / Van Sadan, Haddo, Port Blair

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय धारणीय तटीय प्रबंधन केन्द्र, चेन्नई द्वारा पहले से ही आई. पी. जेड अधिसुचना, 2011 के तहत गठित चौदह द्वीपों के लिए तटीय विनियम क्षेत्र अधिसुचना, 2019 की तटीय विनियम क्षेत्र के प्रावधानों के अनुसार तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को तैयार/संशोधन/अद्यतन करने के लिए हितधारक आकंडे आमंत्रित करते हुए दी डेयली टेलीग्राम और सभी प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 14/07/2020, 16/07/2020 एवं 18/07/2020 को सुचना प्रकाशित की गई थी।

राष्ट्रीय धारणीय तटीय प्रबंधन केन्द्र, चेन्नई ने अब टिप्पणी एवं सुझाव का अनुरोध करते हुए रटलैंड और कर्मीटा तटीय विनियम क्षेत्र का प्रारूप कार्यकारी सारांश द्वीप तटीय विनियम अंचल मानचित्र तथा भूमि उपयोग मानचित्र प्रस्तुत किए है.। इन मानचित्र को अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के वेबसाइट andaman.gov.in एवं forest.and.nic.in अथवा अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यावरण एवं वन विभाग के वेबसाइट lsl.and.nic.in/doef में अपलोड किया गया है।

रटलैंड एव कर्मोटा के प्रारूप कार्यकारी सारांश, द्वीप तटवर्ती विनियम अंचल योजना मानचित्र, तथा भूमि उपयोग नक्शा के सुझावों एवं टिप्पणियों को प्रस्तुत करते समय द्वीप विनियम क्षेत्र अधिसुचना 2019 के प्रावधानों का उल्लेख किया जा सकता है। तटीय विनियम क्षेत्र अधिसुचना, 2019 अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के वेबसाइट andaman.gov.in एवं forest.and.nic.in अथवा अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यावरण एवं वन विभाग के वेबसाइट lsl.and.nic.in/doef में देख सकते है।

दस वर्षों के अविध में वर्तमान एवं भविष्य के कोई भी मौजूदा/प्रस्तावित परियोजनाएं /मास्टर प्लान जिन्हें संशोधित/अंतिम द्वीप तटीय विनियम अंचल मानचित्र तथा भूमि उपयोग मानचित्र में शामिल किया जाना है उसे भू—संदर्भ और डिजिटाइस्ड सोफट कॉपी (ArcGIS/Shapefile/KML फार्मट) में प्रस्तुत करना है।

जन एवं कार्य क्षेत्र में कोविड—19 के प्रबंधन एवं रोकथाम के लिए भारत सरकार, एवं अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा विभिन्न उपायों एवं दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मानचित्रों के सोफट कॉपी, चैरमैन के कार्यालय, ANCZMA (मुख्य सचिव, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन), सदस्य सचिव, ANCZMA (प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सी.आर.जेड एवं एफ.सी),वन सदन हैडो, उपायुक्त (दक्षिण अंडमान/निकोबार), सहायक आयुक्त (दक्षिण अंडमान/कर्मोटा),तहसिलदार (फरारगंज/कचाल/कर्मोटा), सदस्य सचिव (प्रदूषण नियंत्रण समिति), निदेशक (जन जाति कल्याण),प्रभागीय वन अधिकारी (दक्षिण अंडमान/निकोबार),रेंज अधिकारी (मग्लूटांग/कर्मोटा), प्रभाग के कार्यालय में उपलब्ध हॅं। इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के तीस दिवस के भीतर आम जनता एवं हितधारकों से सूझाव एवं टिप्पिणियां आमंत्रित की जाती है।

टिप्पणिया/सुझाव तथा आवश्यक जानकारियाँ उपरोक्त बताए डिजिटल फोर्मट में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सी.आर.जेड एवं एफ.सी) के कार्यालय, वन सदन, हैडो में ई—मेल <u>apccf.crzfc@gmail.com</u> के माध्यम से प्रस्तुत करे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (तटवर्ती अंचल एंव वन संरक्षण) सदस्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार तटवर्ती अंचल प्रबंध प्राधिकरण वन सदन, हैडो, पोर्ट ब्लेयर